बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

राज्य योजना

सं0–5/निदे0–महा0 वि0–56–03/2015– 124

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार,, पटना ।

पटना, दिनांक– 27.03.17

विषयः **वित्तीय वर्ष–2016–17 में राज्य योजना से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में अनुसूचित जाति के परिवार के युवक एवं युवतियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में ₹730.65 लाख (सात करोड़ तीस लाख पैसठ हजार रू0) मात्र की राशि उपलब्ध कराने एवं व्यय की स्वीकृति एवं कौशल विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये श्रम संसाधन विभाग द्वारा पूरे राज्य के लिये राज्य कौशल नीति के तहत निर्धारित मानक प्रक्रिया, दर, एजेन्सी तथा दिशा–निर्देश में करानें की स्वीकृति तथा दिनांक–19.08.2016 को मन्त्रिपरिषद के द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन कराने एवं व्यय करने की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक योजना को चालू रखने की स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत ।

2– मांग संख्या–44 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष–102–आर्थिक विकास, उपशीर्ष–0115–महादलित विकास हेतु, 3104–सहायक अनुदान–वेतन, 3105–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण, 3106–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा–विपत्र कोड–P2225011020115 राज्य योजना स्कीम कोड–SST–5459 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3– इस स्वीकृत राशि के लिए निकासी पदाधिकारी उपनिदेशक(मु0) अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे। वे राशि की निकासी कर राशि को बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के पी0 एल0 खाता संख्यां–PLA-264 में हस्तांतरित करेंगे। मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2016–17 में योजना प्राधिकृत समिति तथा मंत्रिपरिषद से बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के माध्यम से कार्यान्वित होनेवाली स्वीकृति योजनाओं, यथा बिहार महादलित विकास मिशन, पटना के पत्रांक–1434 दिनांक–01.08. 2016 में उल्लिखित योजनाओं पर ही राशि का व्यय किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नही किया जाएगा।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक– 2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

5– महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से संबधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

6– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलना महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेगे।

7– राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा योजना से संबधित व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग का निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

8– इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–4/निदे0–महा0 वि0–56–03/2015–के पृष्ठ........../टि0 पर दिनांक–................ को प्राप्त है।

9– इस प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति तथा मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

10– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

11– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना मद में बजट प्रावधान एवं योजना उदव्यय उपलब्ध है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 5/निदे0–महा0 वि0–56–03/2015– 124 पटना, दिनांक 27.03.17

प्रतिलिपि :(1) वित्त विभाग, बजट शाखा,/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, (दोहरी प्रति में)/आई0 टी0 मैनेजर,/प्रशाखा पदा0–5(निदे0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.3.17
सरकार के सचिव।

memo-ec-mahadalit-2016-17